

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या- 474/पांच-6-14-1082/87टीसी

लखनऊ: दिनांक: 04 मार्च, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1- यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कही जाएगी।	
नियम-3 का संशोधन	2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम-3 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (च) और (झ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात्:	
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	विद्यमान खंड	एतद्वारा प्रतिस्थापित खंड
	(च) "परिवार का तात्पर्य"- (एक) सेवा के सदस्य का, यथास्थिति पति या पत्नी, और (दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परिव्यक्त बहने, अवस्यक भाई, सौतेली माता	(च) "परिवार" का तात्पर्य:- (एक) सेवा के सदस्य का, यथा स्थिति, पति या पत्नी, और (दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/ तलाकशुदा/परित्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त बहनें, अवस्यक भाई और सौतेली माता से है, जो सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित है और सामान्यतया सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं। टिप्पणी-1 किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय पर सभी स्रोतों से आय रू0-3500/- और रू0-3500/- प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य मंहगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। टिप्पणी-2 आश्रितों के लिये आयु सीमा निम्नवत् होगी:- (1) पुत्र- सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (2) पुत्री- सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (3) ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो- जीवन पर्यन्त (4) तलाकशुदा/पति से परित्याजित/विधवा आश्रित पुत्रियों और अविवाहित/तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें-जीवन पर्यन्त (5) अवस्यक भाई- वयस्कता प्राप्त करने तक। (झ) (एक) 'सरकारी चिकित्सालय' का तात्पर्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे या किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से सहबद्ध चिकित्सालय से है, (दो) 'प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों का तात्पर्य ऐसे चिकित्सालयों से
	(झ)	

है, जिनसे सी.जी.एच.एस. (केन्द्रीयित सरकारी स्वास्थ्य सेवार्यें) की दरों के सम मूल्य पर उपचार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा संविदा की गई है।

नियम-4 का प्रतिस्थापन 3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
निःशुल्क चिकित्सा की सेवाओं की हकदारी	<p><b>विद्यमान नियम</b></p> <p>समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतः यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिये पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामले में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेंस भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।</p>	<p><b>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</b></p> <p>4-समस्त लाभार्थी किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे। सामान्यतया यह सुविधा लाभार्थी के निवास या तैनाती के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। चिकित्सा परिचर्या और उपचार के लिए पंजीकरण फीस और अन्य विहित फीस सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिपूरित की जायेगी। आपात मामलों में, यदि परिस्थितियों की अपेक्षा हो तो, एम्बुलेन्स भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।</p>

नियम-6 का संशोधन 4-उक्त नियमावली में नियम-6 में नीचे स्तंभ 1 में दिये गये गए विद्यमान उपनियम(क) के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

	स्तंभ-1	स्तंभ-2
	<p><b>विद्यमान उपनियम</b></p> <p>किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो।</p> <p>परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिये उसका पदनाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनगान, उसकी सेवानिवृत्ति /मृत्यु से पूर्व उसकी अन्तिम तैनाती के अनुसार हो, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा।</p>	<p><b>एतद्वारा प्रति स्थापित उपनियम</b></p> <p>(क) किसी लाभार्थी को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तभी उपलब्ध होगा जब उसके द्वारा परिशिष्ट-क में दिये गये प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत एवं संख्यांकित स्वास्थ्य-पत्र के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण प्रस्तुत किया जायेगा। इस पत्र पर लगे फोटो पर कार्यालय की मुहर इस प्रकार लगायी जायेगी कि फोटो और पत्र दोनों पर मुहर आंशिक रूप से लगी हो।</p> <p>परन्तु किसी पेंशनभोगी व्यक्ति के लिए उसका पद नाम, तैनाती का स्थान, मूल वेतन और वेतनमान, उसकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु से पूर्व उसकी अन्तिम तैनाती के अनुसार होगा, किन्तु स्वास्थ्य कार्ड उसके द्वारा पेंशन आहरित किये जाने के स्थान पर स्थित उसके सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया जायेगा। सरकार भविष्य में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के स्थान पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) चरणबद्ध रूप से जारी कर सकती है।</p>

नियम-7 का संशोधन 5- उक्त नियमावली में, नियम-7 में, नीचे स्तंभ 1 में दिये गए विद्यमान उपनियम (क) के स्थान पर स्तंभ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

	स्तंभ-1	स्तंभ-2
	<p><b>विद्यमान उपनियम</b></p> <p>किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा</p>	<p><b>एतद्वारा प्रति स्थापित उपनियम</b></p> <p>(क) किसी सरकारी चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय</p>

महाविद्यालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी :-

क 0	मूल वेतन + ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा
1.	रु० 19000/- या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	रु० 13000/- से अधिक और रु० 19000/- से कम	सशुल्क वार्ड
3.	रु० 13000/- से कम	सामान्य वार्ड

परन्तु किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अन्तिम मूलवेतन को हकदारी के अवधारण के लिये मूलवेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओं के लिये हकदार होगा जो वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है।

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में अंतरंग उपचार के मामले में सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित वास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी:-

क्रमांक	मूल वेतन+ग्रेड वेतन	वार्ड जिनके लिये लाभार्थी हकदार होगा।
1.	रु०-19000/-या अधिक	निजी या विशेष वार्ड
2.	रु०-13000/-से अधिक और रु०-19000/- से कम	सशुल्क वार्ड
3.	रु०-13000/- या कम	सामान्य वार्ड

परन्तु यह कि किसी पेंशनभोगी द्वारा आहरित अन्तिम मूल वेतन को हकदारी के अवधारण के लिए मूल वेतन माना जायेगा तथापि कोई पेंशनभोगी ऐसी सेवाओं से अनिम्नतर सेवाओं के लिए हकदार होगा जोकि वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पाता रहा है :

परन्तु अग्रतर यह भी कि किसी लाभार्थी के अनुरोध पर उसकी वास्तविक हकदारी से बेहतर वास सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने की दशा में उसको अतिरिक्त व्यय स्वयं वहन करना होगा।

टिप्पणी: प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में अंतरंग उपचार हेतु वार्ड की हकदारी के लिये मानदंड, मूल वेतन + ग्रेड वेतन की सीमाओं पर आधारित होंगे जैसा कि ऐसे चिकित्सालयों में भारत सरकार की सी०जी०एच०एस० दरों के अधीन आच्छादित सरकारी सेवकों पर लागू है।

नियम-10 का प्रतिस्थापना

6-उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ -1 में दिये गए विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तंभ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान उपनियम**

कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सालय, लखनऊ में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।

एस.जी.पी. जी.आई./ सी.एस.एम. एम.यू.

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

10- कोई लाभार्थी भुगतान करने पर संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के०जी०एम०यू० लखनऊ और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में बिना संदर्भ के उपचार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा परिचर्या या उपचार पर किया गया व्यय विहित रीति में दावे के प्रस्तुतीकरण पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।

एस०जी०पी० जी०आई०/ के०जी० एम०यू०/ सरकारी चिकित्सा महा- विद्यालयों में उपचार

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में संदर्भ के साथ भुगतान के प्रति उपचार प्राप्त किया जा सकता है। विहित नियमावली के अधीन

			चिकित्सकीय देख-रेख या उपचार पर उपगत व्यय हेतु दावा प्रस्तुत किये जाने पर पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।
भाग तीन के दीर्घ शीर्षक का प्रतिस्थापन	7. उक्त नियमावली में, नियम-10 के पश्चात विद्यमान दीर्घ शीर्षक "भाग-तीन-यात्रा पर आपातकालीन स्थिति में उपचार और विशिष्ट उपचार" के स्थान पर दीर्घ शीर्षक "आपातकालीन स्थिति में और यात्रा के दौरान उपचार और विशिष्ट उपचार" रख दिया जायेगा।		
नियम-11 का प्रतिस्थापना	8- उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ 1 में दिये गए विद्यमान नियम-11 के स्थान पर स्तंभ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-		
	<b>स्तम्भ-1</b>	<b>स्तम्भ-2</b>	
	विद्यमान उपनियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम	
तात्कालिक / आपात-कालीन उपचार	<p>किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और राज्य से बाहर की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी।</p> <p><b>प्रतिबन्ध यह है कि-</b></p> <p>(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय।</p> <p>(ख) रोगी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।</p> <p>(ग) आपात स्थिति में एयर एम्बुलंस पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूरणीय होगी।</p>	तात्कालिक / आपातकालीन उपचार	<p>11- किसी लाभार्थी को राज्य के भीतर या बाहर तात्कालिक/आपात स्थिति में या यात्रा पर किसी निजी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में उपचार प्राप्त करने की अनुमन्यता होगी। उपचार की लागत राज्य के भीतर उपचार कराने की दशा में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान या राज्य से बाहर उपचार की दशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों में उपचार कराने की दशा में उपचार की लागत सी०जी०एच०एस० की दरों पर प्रतिपूरणीय होगी। प्रतिबन्ध यह है कि:-</p> <p>(क) उपचारी चिकित्सक द्वारा आपात दशा प्रमाणित की जाय।</p> <p>(ख) रोगी या उसके संबंधी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष को यथाशक्य शीघ्र किन्तु उपचार प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सूचित कर दिया जाय।</p> <p>(ग) आपात स्थिति में एअर एम्बुलेन्स पर होने वाले व्यय की धनराशि भी प्रतिपूणीय होगी।</p>
नियम-12 का प्रतिस्थापना	9- उक्त नियमावली में, नीचे स्तंभ 1 में दिये गए विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तंभ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-		
	<b>स्तम्भ-1</b>	<b>स्तम्भ-2</b>	
	विद्यमान उपनियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम	
	<p>कार्यालय कार्य से अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक संबंधित राज्य के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि चिकित्सा</p>	<p>12- कार्यालय कार्य से या निजी कार्य के लिये यात्रा के दौरान अन्य राज्यों को गये सरकारी सेवक संबंधित राज्य के सरकारी चिकित्सालय या प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में चिकित्सा परिचर्या और उपचार पाने के हकदार होंगे और उस पर उपगत हुआ वास्तविक व्यय पूर्णतया प्रतिपूरणीय होगा।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि प्रदेश के बाहर चिकित्सा</p>	

	<p>महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी।</p>	<p>महाविद्यालयों, संस्थानों या निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों पर होगी और प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालय में कराये गये उपचार की प्रतिपूर्ति, सी०जी०एच०एस० की दरों पर होगी।</p> <p>कार्यालयीय यात्रा पर विदेश जाने वाले सरकारी सेवकों से यह प्रत्याशा की जाती है कि वे यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पालिसी प्राप्त कर लें, जिससे कि आवश्यकता पड़ने की दशा में विदेश यात्रा के दौरान उन्हें चिकित्सकीय उपचार का लाभ बीमा योजना के अंतर्गत मिल सके। यात्रा एवं स्वास्थ्य बीमा पालिसी के बीमा प्रमियम की प्रतिपूर्ति यात्रा भत्ता देयक में टिकट के साथ की जा सकती है किन्तु किसी भी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पृथक से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।</p>
<p>नियम-13 का संशोधन</p>	<p>10- उक्त नियमावली में नियम-13 में, नीचे स्तंभ-1 में दिये गए विद्यमान उपनियम (क) और (ख) के स्थापना पर स्तंभ-2 में दिये गये उपनियम रख दिया जाएग, अर्थात:-</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-1</b></p> <p style="text-align: center;">विद्यमान उपनियम</p> <p>जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिये जिनके लिये सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिये रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, संदर्भित किया जा सकता है।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार संदर्भित किसी रोगी को तात्कालिक /आपात स्थिति के कारण संदर्भित से भिन्न किसी अन्य चिकित्सालय में उपचार कराना पड़ता है, तो नियम-11 (ग) लागू नहीं होगा।</p>	<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-2</b></p> <p style="text-align: center;">एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम</p> <p>13(क)- जटिल और गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए, जिनके लिए सरकारी चिकित्सालय या संदर्भित करने वाली संस्थाओं में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, संदर्भित करने वाली संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष या सरकारी जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा विशिष्ट उपचार और चिकित्सा परिचर्या के लिए रोगी को ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था को जिसे राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, संदर्भित किया जा सकता है।</p> <p>(ख) ऐसे निजी चिकित्सालय या संस्था में उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय या राज्य के भीतर उपचार के लिए संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की दरों या राज्य के बाहर हुए उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों तक, जो भी कम हो, सीमित होगी। प्राधिकृत संविदाकृत चिकित्सालयों को संदर्भित मामलों पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति सी०जी०एच०एस० की दरों पर की जाएगी।</p>
<p>नियम-15 का संशोधन</p>	<p>11- उक्त नियमावली में नियम-15 में, नीचे स्तंभ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (ड.) और (झ) के स्थान पर स्तंभ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जाएंगे, अर्थात:-</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>स्तंभ-1</b></p> <p style="text-align: center;">विद्यमान उप नियम</p> <p>(ड.) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।</p>	<p style="text-align: center;"><b>स्तंभ-2</b></p> <p style="text-align: center;">एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम</p> <p>(ड.)-किसी रोग के निरन्तर उपचार की दशा में, परिचारक चिकित्सक की सलाह और संस्तुति पर, विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जा सकती है कि</p>

	<p>झ. यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा, जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी</p>	<p>पूर्ववर्ती स्वीकृत अग्रिम को एक आंशिक दावा प्रस्तुत करके समायोजित किया गया है। (झ) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा, जो भविष्य निधि पर लागू ब्याज की सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत अधिक होगा।</p>								
नियम-19 का संशोधन	12-उक्त नियमावली में नियम-19 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-									
	<b>स्तम्भ-1</b>	<b>स्तम्भ-2</b>								
	<p>विद्यमान उप नियम (क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे :- (एक) रू0 40000/- तक उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय/ आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी /अधीक्षक।  (दो) रू0 40001/- से अधिक उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।  (तीन)निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु संदर्भकर्ता संस्था के आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा जैसा नियम-13(क) में उपबन्धित है।</p>	<p>एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम (क) तकनीकी परीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दावे की धनराशि</th> <th>सक्षम प्राधिकारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(एक) 50,000/- तक</td> <td>उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक</td> </tr> <tr> <td>(दो) 50,001/- से अधिक</td> <td>उपचारी या संदर्भकर्ता मुख्य सरकारी चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।</td> </tr> <tr> <td>(तीन)निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु</td> <td>नियम-13(क) में यथा उपबन्धित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा।</td> </tr> </tbody> </table>	दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी	(एक) 50,000/- तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक	(दो) 50,001/- से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता मुख्य सरकारी चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।	(तीन)निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	नियम-13(क) में यथा उपबन्धित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा।
दावे की धनराशि	सक्षम प्राधिकारी									
(एक) 50,000/- तक	उपचारी या संदर्भकर्ता सरकारी चिकित्सालय, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सरकारी चिकित्सालय का प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक									
(दो) 50,001/- से अधिक	उपचारी या संदर्भकर्ता मुख्य सरकारी चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथी चिकित्साधिकारी या क्षेत्रीय, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।									
(तीन)निजी चिकित्सालयों में विशिष्ट उपचार हेतु	नियम-13(क) में यथा उपबन्धित संदर्भकर्ता संस्था के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या आचार्य या विभागाध्यक्ष से अन्यून श्रेणी के उपचारी चिकित्सक द्वारा।									
नियम-20 का प्रतिस्थापन	13-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-									
	<b>स्तम्भ-1</b>	<b>स्तम्भ-2</b>								
	<p>उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे  (क) सरकारी सेवकों के लिये :- रू0 1.00 लाख तक -कार्यालयाध्यक्ष रू0 1.00 लाख से अधिक व 2.50 लाख तक - विभागाध्यक्ष रू0 2.50 लाख से 5.00 लाख तक-सरकार</p>	<p>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम स्वीकर्ता प्राधिकारी 20-उपचार हेतु प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्नवत् होंगे :- कार्यरत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दावे की धनराशि</th> <th>स्वीकर्ता प्राधिकारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रू0 2,00,000/- तक</td> <td>कार्यालयाध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>रू0 2,00,000/- से अधिक रू0 5,00,000/-</td> <td>विभागाध्यक्ष</td> </tr> </tbody> </table>	दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी	रू0 2,00,000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष	रू0 2,00,000/- से अधिक रू0 5,00,000/-	विभागाध्यक्ष		
दावे की धनराशि	स्वीकर्ता प्राधिकारी									
रू0 2,00,000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष									
रू0 2,00,000/- से अधिक रू0 5,00,000/-	विभागाध्यक्ष									

	का प्रशासकीय विभाग रु0 5.00 लाख से अधिक—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के बाद और वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से सरकार का प्रशासकीय विभाग (ख) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिये— रु0 1.00 लाख तक—सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष रु0 1.00 लाख से अधिक व रु0 5.00 लाख से तक— सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी रु0 5.00 लाख से अधिक— सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथामाध्यम प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रशासकीय विभाग के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति एवं वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के पश्चात प्रशासकीय विभाग।	तक	
		रु0 5,00,000/- से रु0 10,00,000/- तक	सरकार में प्रशासकीय विभाग
		रु0 10,00,000/- से अधिक	वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग।
नियम-22 का संशोधन	14—उक्त नियमावली में, नियम-22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप नियम (ग) और (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:—		
	<b>स्तम्भ-1</b>	<b>स्तम्भ-2</b>	
	विद्यमान उप नियम (ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा करने पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा भले ही लाभार्थी उसके हकदार है या था। (घ) जटिल बीमारी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है।	एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम (ग) रोगी और परिचारक, यदि कोई हो, अपनी सरकारी यात्रा के हकदारी की सीमा तक अपने निवास से उपचार के स्थान तक निकटतम रेल मार्ग से जाने और वापस आने की ऐसी यात्रा हेतु भत्ता पाने का हकदार होगा। तथापि, कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।  (घ) जटिल बीमारी की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की लिखित संस्तुति पर सरकार वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकती है। तथापि, ऐसी यात्रा पर कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।	
परिशिष्ट 'ग' का प्रतिस्थापन	15—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात:—		

स्तम्भ-1  
विद्यमान परिशिष्ट  
परिशिष्ट 'ग'  
(भाग-पाँच-नियम-16 तथा 18 देखें)

सेवा में,  
कार्यालयाध्यक्ष का नाम

.....

.....

विषय: चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं...../मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम).....

.....ने.....(बीमारी का नाम) के लिये.....  
.....(दिनांक) से.....तक.....(चिकित्सालय का

नाम) में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के लिये दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।
2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद पर्ची (कैश मेमो), बीजक (बिल), बाउचर।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर पूर्णतया आश्रित हैं।

मेरे उपचारार्थ.....के पत्र संख्या.....दिनांक.....  
.....द्वारा स्वीकृत रू०.....के अग्रिम का समायोजन करने के पश्चात मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिये यथा आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक.....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम  
पदनाम:  
तैनाती का स्थान



स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट  
परिशिष्ट 'ग'  
(भाग-पॉच-नियम-16 तथा 18 देखें)

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष का नाम

.....

.....

विषय: चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति।

महोदय,

मैं...../मेरे पारिवारिक सदस्य (नाम).....  
ने.....(बीमारी का नाम) के लिये.....  
.....(दिनांक) से.....तक.....(चिकित्सालय का  
नाम) में उपचार करवाया है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति के  
लिये दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

1. उपचारी चिकित्सक/चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/  
प्रतिहस्ताक्षरित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र।
2. उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित मूल नकद  
पर्ची (कैश मेमो), बीजक (बिल), बाउचर।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित पारिवारिक सदस्य मुझ पर  
पूर्णतया आश्रित हैं और सामान्यतया मेरे साथ निवास करता है।  
मेरे उपचारार्थ.....के पत्र संख्या.....दिनांक.....  
.....द्वारा स्वीकृत रू०.....के अग्रिम का समायोजन करने  
के पश्चात् मेरे दावे की प्रतिपूर्ति के लिये यथा आवश्यक कार्यवाही करने की  
कृपा करें।

दिनांक.....

अधिकारी/कर्मचारी का नाम

पदनाम:

तैनाती का स्थान

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 474 (1)/पॉच-6-14 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में दिनांक 04.03.2014 को प्रकाशित करायें तथा अधिसूचना की 2000 (दो हजार) प्रतियां शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 474 (2)/पॉच-6-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय (पुरुष/महिला)एउ0प्र0 को भेजने का कष्ट करें।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/संयुक्त चिकित्सालय (पुरुष/महिला)एउ0प्र0
9. स्थानिक आयुक्त, 14 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
10. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- ✓11. विभागीय वेब मास्टर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को चिकित्सा विभाग की वेबसाइट पर अविलम्ब लोड करने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)  
संयुक्त सचिव।